Phone :- 0612-2219319
Fax :- 0612-2232377
E-mail :- biscomaun@gmail.com
info@biscomaun.co.in

बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)

बिहार एव झारखण्ड
छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. बैठक/225/एम–849 Date:- 21/10/2024

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बिस्कोमान(बिहार एवं झारखण्ड)
पटना।

सेवा में,

श्री/श्रीमती ....
....
पता ....
....
....

प्रतिनिधि (समिति का नाम) ....
....
....

विषयः– बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित(बिस्कोमान) बिहार एवं झारखण्ड के निदेशक मंडल के निर्वाचन के निमित विशेष आम सभा एवं सामान्य निकाय के लिए जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

महाशय,

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024 के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिस्कोमान के सामान्य निकाय एवं निदेशक मंडल के गठन की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु बिस्कोमान की उपविधि संख्या 20 एवं बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 (यथा संशोधित) की धारा 38(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जिलास्तर पर प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाना है। जिलास्तर पर निर्वाचित समिति के प्रतिनिधि ही विशेष आम सभा एवं निर्वाचन में भाग लेंगे।

अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक बैठक/225/एम–711, दिनांक 27.09.2024 के आलोक में समिति द्वारा प्रतिनिधि के रूप में आपको नामित किया गया है। आपके जिलान्तर्गत बिस्कोमान से सम्बद्ध कुल अंशधारी योग्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बीच से विशेष आम सभा एवं सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधि का निर्वाचन होना है।

उपविधि 20(iii) एवं (iv) के प्रावधानों के आलोक में जिला स्तर पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्न रूप से होगा।

(i) जिले के कुल B वर्ग की योग्य समितियों में से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

(ii) जिले में वर्ग A की योग्य समितियों में से 3(तीन) पर एक एवं उसके अंश पर एक अधिकतम सात प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा।

(iii) यदि जिले में वर्ग A के प्रतिनिधियों के बीच SC/ST के प्रतिनिधि उपलब्ध हो तो न्यूनतम एक प्रतिनिधि का निर्वाचन SC/ST के वर्ग से होगा।

(iv) यदि वर्ग A से 100 शेयर या उससे अधिक अर्थात एक लाख रूपए या उससे अधिक का शेयर समिति द्वारा धारित किया जाता है तथा समिति का कार्य क्षेत्र जिला/प्रमण्डल अथवा राज्य है तो इसके प्रतिनिधि सामान्य निकाय/विशेष आम–सभा के लिए सीधे ही निर्वाचित घोषित किये जायेंगे। ऐसे प्रतिनिधि भी विहित प्रपत्र में नामांकन करेंगे परंतु इनके लिए किसी प्रस्तावक या

समर्थक की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी गणना उपरोक्त कंडिका–ii की संख्या के अतिरिक्त होगा। स्पष्ट हो कि 100 शेयर या 100 से अधिक शेयर धारक को जिला स्तर पर निर्वाचन हेतु वर्ग 'A' के प्रतिनिधि निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा।

(v) झारखण्ड राज्य के लिए अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि निम्न वर्णित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की कृपा की जाय।

(सिर्फ बिहार राज्य के लिए)

क्र.स.	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थान
1.	प्रतिनिधि सूची का प्रदर्शन	04.11.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय
2.	प्रतिनिधि सूची पर आपत्ति	04.11.2024	12:00 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक	"
3.	प्रतिनिधि सूची पर प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं वैद्ध प्रतिनिधि सूची का प्रकाशन	05.11.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	"
4.	प्रतिनिधियों के द्वारा नामांकन	11.11.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	"
5.	नामांकन सूची का प्रदर्शन	11.11.2024	अपराह्न 04:00 बजे तक	"
6.	नामांकन सूची पर आपत्ति	11.11.2024	अपराह्न 04:05 बजे तक	"
7.	आपत्तियों की जाँच एवं वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन	11.11.2024	अपराह्न 04:30 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक	"
8.	नामांकन वापसी एवं वापसी के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन	11.11.2024	अपराह्न 05:00 बजे से 5:30 बजे अपराह्न तक	"
9.	निर्वाचन(यदि आवश्यक हो)	13.11.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	"
10.	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा प्रमाण पत्र निर्गत करना	13.11.2024	अपराह्न 03:30 बजे से समाप्त होने तक	"

नामांकन करने के इच्छुक प्रतिनिधि विहित प्रपत्र में नामांकन करेंगे। नामांकन फार्म के साथ शपथ पत्र (नोटरी से) एवं घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाएगा। नामांकन फार्म –सह–घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र का प्रारूप एवं प्रतिनिधि (मतदाता सूची) जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह–निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी या बिस्कोमान के वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

प्रबंध निदेशक